

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 60/2022

अनवान :

1. एकता आयु 12 वर्ष
 2. निकिता आयु 10 वर्ष
 3. विक्रम आयु 6 वर्ष
 4. रोशनी पत्नी इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा ।
- पुत्र-पुत्री इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मालकस तह०
भादरा नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता रोशनी
पत्नी इन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मालकस तह० भादरा ।

:- वादीगण

बनाम


1. इन्द्रसिंह पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा ।
2. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक ।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा ।
4. उपपंजीयक भादरा जिला हनुमानगढ़ ।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालकस के खाता सं० 35/41 के खसरा सं० 223 की 14. 177है० बारानी, खसरा सं० 364/214 की 1.416है० बारानी कुल 15.593है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 इन्द्रसिंह के नाम 4/27 हिस्सा दर्ज वादभूमि में वादी सं०1 एकता वादी सं० 2 निकिता तथा वादी सं० 3 विक्रम नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता रोशनी पत्नी इन्द्रसिंह व प्रतिवादी सं० 1 इन्द्रसिंह पुत्र जुगलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषितकिए जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़